GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS/RAIL MANTRALAYA
[RAILWAY BOARD]

S.No.PC-V/95
No.PC-V/98/I/5/4

RBE No. 157/98
New Delhi, dated 17 .07.98

The GMs/CAO(R)/OSDs
All Indian Railways &
Production Units
(As per mailing list)

Sub :Revised rates of Stipend to Special Class Apprentices on Railways.

Ref :Railway Board's letter No.PC-IV/86/Imp/50 dated 24.3.87.

Consequent upon the promulgation of Railway Services (Revised Pay) Rules, 1997, on the basis of the recommendations of the V Central Pay Commission, the issue of revision of the rates of Stipend to Special Class Apprentices on Railways has been under consideration. The President is pleased to decide the following revised rates of Stipend for these Apprentices :-

Year	Existing rate of Stipend Rs. per month	Revised rate of Stipend Rs. per month
First	1300	4000
Second	1300	4000
Third	1400	4200
Fourth		
(First Six months)	1400	4200
(Last six months)	1500	4400

2. These orders will take effect from 1.1.98.

3. On being brought over to the revised rates of Stipend w.e.f. 1.1.1998 the Special Class Apprentices will draw the revised rates of Dearness Allowance appropriate to the revised rates of Stipend.

4. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

5. Hindi version is enclosed.

(Neera Khuntia)
Director Pay Commission
Railway Board

No.PC-V/98/I/5/4

New Delhi, dated 17 .07.98

Copy (with 40 spares) forwarded to ADAI (Railways), New Delhi

for Financial Commissioner, Railways

RBA/1/XX

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

क्रम सं0: पी सी 5/95 आर·बी·ई·सं·157/98

सं0 पी·सी·5/98/आई/5/4 नयी दिल्ली, दि0 17·7·98

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर)/विशेष कार्याधिकारी,
सभी भारतीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां (
(डाक सूची के अनुसार) ·

विषय:- रेलों पर स्पेशल क्लास अप्रेंटिसों के लिए वज़ीफे की संशोधित दरें·
संदर्भ :- रेलवे बोर्ड का दिनांक 24·3·87 का पत्र सं0 पीसी4/86/इम्प·/50·

पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर, रेल सेवा संशोधित वेतन नियम, 1997 क्रियान्वित किए जाने के परिणामस्वरूप, रेलवे पर स्पेशल क्लास अप्रेन्टिसों के लिए वज़ीफे की दरों को संशोधित करने का मुद्दा विचाराधीन रहा है· राष्ट्रपति जी सहर्ष यह विनिश्चय करते हैं कि इन अप्रेन्टिसों को वज़ीफे की निम्नलिखित संशोधित दरें प्रदान की जाएं:-

वर्ष	प्रतिमाह वज़ीफे की मौजूदा दर	प्रतिमाह वज़ीफे की संशोधित दर
पहला	1300	4000
दूसरा	1300	4000
तीसरा	1400	4200
चौथा (पहला छह माह)	1400	4200
(अंतिम छह माह)	1500	4400

2· ये आदेश 1·1·98 से प्रभावी होंगे·

3· 1·1·98 से वज़ीफे की संशोधित दरें लागू किए जाने के बाद, स्पेशल क्लास अप्रेन्टिसों वज़ीफे की संशोधित दरों के अनुरूप महंगाई भत्ते की संशोधित दरें प्राप्त करेंगे·

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है.

(नीरा खुटिया)
निदेशक, वेतन आयोग,
रेलवे बोर्ड

सं0 पी सी 5/98/आई/5/4 नयी दिल्ली, दि0 17.7.98

प्रतिलिपि एडी ए आई(रेलें), नई दिल्ली को 40 अतिरिक्त प्रतियों सहित प्रेषित.

कृते वित्त आयुक्त(रेलें)